भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *279

जिसका उत्तर 19 मार्च, 2025 को दिया जाना है

28 फाल्गुन, 1946 (शक)

ऑनलाइन पोर्नोग्राफी

***279. सुश्री इकरा चौधरी** :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा और नाबालिगों के शोषण से जुड़ी ऑनलाइन पोर्नोग्राफी को विनियमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार देश में लिंग आधारित हिंसा पर ऑनलाइन पोर्नोग्राफी के प्रभाव पर शोध कर रही है;

(ग) बच्चों की सोशल मीडिया ऐप सहित हानिकारक ऑनलाइन पोर्नोग्राफिक सामग्री की उपलब्धता को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार की पोर्नोग्राफी दिखाने वाली वेबसाइटों और एप के द्वारा पोस्ट की जाने वाली सामग्री की और अधिक सख्ती से समीक्षा और जवाबदेही शुरू करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से **(घ)**: एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

ऑनलाइन पोर्नोग्राफी के संबंध में दिनांक 19.03.2025 को लोक सभा में पूछे गए
तारांकित प्रश्न संख्या *279 के उत्तर में उल्लिखित विवरण पत्र

******

(क) से (घ): केन्द्र सरकार की नीतियों का उद्देश्य अपने उपयोगकर्ताओं के लिए मुक्त, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ("आईटी अधिनियम") में इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री और यौन रूप से स्पष्ट कृत्य दर्शाने वाली सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए दंड के प्रावधान किए गए हैं। आईटी अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक रूप में बच्चों को स्पष्ट रूप से यौन कृत्य करते हुए दिखाने वाली सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण के लिए भी कठोर दंड का प्रावधान है।

इसके अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी (माध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 ("आईटी नियम, 2021") के अंतर्गत सोशल मीडिया माध्यस्थों सहित सभी माध्यस्थों पर उचित सावधानी बर्तने का दायित्व सौंपा गया है और यदि वे इस तरह की बाध्यताओं का उचित ढंग से अनुपालन करने में विफल रहते हैं, तो वे अपने द्वारा होस्ट की गई तृतीय-पक्षकार की सूचना या डेटा या संचार लिंक के लिए कानून के तहत अपने दायित्वों से छूट के प्रावधान को खो देते हैं। इस तरह की उचित बाध्यताओं में यह भी शामिल है कि यदि कोई महत्वपूर्ण सोशल मीडिया माध्यस्थ जो मुख्य रूप से मैसेजिंग से जुड़ी सेवाएँ प्रदान कर रहा है, तो उसे बलात्कार, यौन रूप से स्पष्ट सामग्री या बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री से संबंधित अपराध की रोकथाम, उसका पता लगाने, जाँच, अभियोजन या दंड के प्रयोजनों के लिए अपने कंप्यूटर संसाधन पर ऐसी सूचना के पहले स्रोत की पहचान करने में सक्षम होना चाहिए। इस तरह की उचित बाध्यताओं में यह भी शामिल है कि मध्यस्थ 24 घंटे के भीतर ऐसी कोई भी सामग्री हटा देंगे जो प्रथम दृष्टया किसी व्यक्ति की निजी जानकारी उजागर करती है, किसी व्यक्ति को पूर्ण या आंशिक नग्नता में दर्शाती है या ऐसे व्यक्ति को किसी यौन कृत्य या आचरण में लिप्त दर्शाती या चित्रित करती है। इसके अलावा, नियमों में एक या एक से अधिक शिकायत अपीलीय समितियों की स्थापना का भी प्रावधान है, ताकि उपयोगकर्ताओं को ऐसी शिकायतों पर सोशल मीडिया माध्यस्थों के शिकायत अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णयों के खिलाफ अपील करने का अवसर मिल सके।

सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 और सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम 1983 के प्रावधानों के अनुसार अच्छा और स्वस्थ मनोरंजन सुनिश्चित करने के लिए, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी), वयस्क फिल्मों सहित फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को नियंत्रित करता है। उनके द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, जो फिल्में अवयस्क दर्शकों के लिए प्रदर्शन की दृष्टि से अनुपयुक्त मानी जाती हैं, उन्हें केवल वयस्क दर्शकों के लिए ही प्रदर्शन हेतु प्रमाणित किया जाएगा।

इसके अलावा, क्यूरेटेड कंटेंट के ऑनलाइन प्रकाशकों के लिए, आईटी नियम, 2021 में ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट के प्रकाशकों, जिन्हें आमतौर पर ओटीटी प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है, के लिए आचार संहिता निर्धारित की गई है। इस आचार संहिता के तहत ओटीटी प्लेटफॉर्म को विनिर्दिष्ट आयु की दृष्टि से उपयुक्त श्रेणियों के अनुसार सामग्री को वर्गीकृत करना, बच्चों द्वारा आयु की दृष्टि से अनुचित सामग्री तक पहुंच को प्रतिबंधित करना और "वयस्क" के रूप में वर्गीकृत सामग्री के लिए आयु सत्यापन तंत्र लागू करना आवश्यक है।

ऐसे साइबर अपराधों से समन्वित तरीके से निपटने के लिए इस व्यवस्था को और मजबूत बनाने हेतु सरकार ने निम्नलिखित सहित कई अन्य उपाय भी किए हैं:

(i) गृह मंत्रालय एक राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) संचालित करता है, ताकि नागरिक सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित शिकायतों की रिपोर्ट कर सकें, जिसमें बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मंत्रालय ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध सहित सभी प्रकार के साइबर अपराधों से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) की भी स्थापना की है।

(ii) गृह मंत्रालय ने महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध रोकथाम योजना के अंतर्गत क्षमता निर्माण के लिए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान की है, जिसमें साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और कानून प्रवर्तन एजेंसियों, लोक अभियोजकों एवं न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए सहायता शामिल है।

(iii) सरकार ने समय-समय पर बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) वाली वेबसाइटों को ब्लॉक किया है, जो कि इंटरपोल के लिए भारत की राष्ट्रीय नोडल एजेंसी, केंद्रीय जांच ब्यूरो के माध्यम से प्राप्त इंटरपोल की सूचियों पर आधारित है।

(iv) सरकार ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को एक आदेश जारी किया है, जिसमें उन्हें इंटरनेट वॉच फाउंडेशन, यूके या प्रोजेक्ट अरैक्निड, कनाडा की सीएसएएम वेबसाइटों/वेबपेजों की सूची को गतिशील आधार पर लागू करने और ऐसे वेब पेजों या वेबसाइटों तक पहुंच को अवरुद्ध करने का निर्देश दिया गया है।

(v) दूरसंचार विभाग ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) से अनुरोध किया है कि वे अपने ग्राहकों के बीच अभिभावकीय नियंत्रण फिल्टर के उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करें तथा अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के लाइसेंस वाले आईएसपी को निर्देश दिया गया है कि वे सीएसएएम युक्त कुछ वेबसाइटों को ब्लॉक कर दें।

(vi) साइबर अपराध के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए गृह मंत्रालय ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें ट्विटर हैंडल @cyberDost के माध्यम से साइबर अपराध पर संदेशों का प्रसारण, रेडियो अभियान और किशोरों/छात्रों के लिए एक पुस्तिका का प्रकाशन शामिल है।

(vii) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), गृह मंत्रालय (एमएचए) और नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन (एनसीएमईसी), यूएसए के बीच एनसीएमईसी से ऑनलाइन बाल यौन स्पष्ट सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री पर टिपलाइन रिपोर्ट साझा करने के संबंध में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एनसीएमईसी से प्राप्त टिपलाइनों को आगे की कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ ऑनलाइन साझा किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक

तेलंगाना राज्य में सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम की डिजाइन संबद्ध प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए लाभार्थियों की सूची

1. ग्रीन पीएमयू सेमी प्राइवेट लिमिटेड
2. वाईसिग नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
3. मॉसचिप टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

तेलंगाना राज्य में सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम की डिजाइन संबंद्ध प्रोत्साहन योजना के तहत ईडीए टूल सहायता के लिए लाभार्थियों की सूची

1 ग्रीन पीएमयू सेमी प्राइवेट लिमिटेड
2 वाईसिग नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
3 धेयो एआई प्राइवेट लिमिटेड
4 एएमपीआईसीक्यू प्राइवेट लिमिटेड
5 बिटसिलिका प्राइवेट लिमिटेड
6 मंजीरा डिजिटल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
7 स्पिनट्रॉनिक्स एआई सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
8 स्मार्टकोश टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
9 वीकनेक्टेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड

तेलंगाना राज्य में चिप्स-टू-स्टार्ट (सी2एस) कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थियों की सूची

1. हैदराबाद विश्वविद्यालय
2. अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
3. यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद
4. चैतन्य भारती इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हैदराबाद
5. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
6. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान वारंगल
7. जेएनटीयूएच यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हैदराबाद

******